

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2769

दिनांक :- 13-02-2019

आदेश संख्या : 337/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कर्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (सीपा), पुरानी जिला परिषद के पीछे, नयापुरा, कोटा-324001 में दिनांक 18/02/2019 से 12/04/2019 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 18/02/2019 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मत्नोनीत किया जाता है:-

क. सं.	कनिष्ठ लेखाकार का नाम एवं पिता का नाम	मेरिट नम्बर	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	आकाश टॉक S/o वासुदेव टॉक	3167 / 2013	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला मुख्यालय (मनरेगा), जयपुर।
2	प्रवीण पाण्डेय S/o राम कृष्ण पाण्डेय	3193 / 2013	निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
3	योगेश कुमार शर्मा S/o नरोत्तम लाल शर्मा	3197 / 2013	निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् (एक्स काडर पद), जयपुर।
4	भोजीत सिंह राठौड़ S/o भंवर सिंह राठौड़	3200 / 2013	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी.(एस.बी.), गृह विभाग, जयपुर।
5	राजेश गुर्जर S/o रामकरण गुर्जर	SBC / 2013	अतिरिक्त निदेशक (बी.पी.लैब), पशुपालन विभाग, जयपुर।
6	प्रवीण सिंह गुर्जर S/o बनेसिंह गुर्जर	SBC / 2013	अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (रेल्वे), जयपुर।
7	देशराज गुर्जर S/o कन्हैया लाल गुर्जर	SBC / 2013	निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, जयपुर।
8	चेतन धाभाई S/o भैरु राम गुर्जर	SBC / 2013	सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधि विभाग, जयपुर।
9	बुद्धिप्रकाश गुर्जर S/o जगदीश गुर्जर	SBC / 2013	कमान अधिकारी, 1 राज. बटालियन एनसीसी, जयपुर।
10	हितेन्द्र कुमार मीणा S/o चिरंजीलाल मीणा	DGS	कमान अधिकारी, 1 राज., एयर स्क्वाड्रन, एन.सी.सी. कार्यालय, जयपुर।

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कर्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कर्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कर्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कर्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कर्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

13/2

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2769

दिनांक:- 13-02-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- . महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुरानी जिला परिषद के पीछे, नयापुरा, कोटा-324001 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।

. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।

. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।

. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)